फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड रजिर्स्टड पता 102, कंचन अपार्टमेंट अपोजिट एलबीएस कॉलेज तिलक नगर जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी — **प्रार्थी**

बनाम

1. पिन्टू नायक, पृथ्वीराज नायक, बेटूम्बी नायक का खेडा, पचमाता तहसील रेलमगरा जिला– राजसमन्द, राज.
2. देव नायक पत्नी पिन्टू नायक, बेटूम्बी नायको का खेडा, पचमाता तहसील रेलमगरा जिला– राजसमन्द, राज.
3. प्रभुलाल नायक पुत्र पृथू नायक 15, बेटूम्बी नायको की बस्ती तहसील रेलमगरा जिला– राजसमन्द, राज.
4. सत्यनारायण नायक पुत्र पृथ्वीराज नायक, नायक बस्ती, बेटूम्बी पनोटिया तहसील रेलमगरा जिला– राजसमन्द, राज.
5. अम्बा लाल नायक पुत्र लहरू लाल नायक, रघुनाथपुरा, सिधेसर कला वामनीया कला, तहसील रेलमगरा जिला– राजसमन्द, राज. — **अप्रार्थीगण**

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सिक्यूटराईजेशन पत्रावली संख्या 79/2019

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 23.01.2020 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में सम्पती का पूर्ण विवरण का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर ने दिनांकः 18.12.2019 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है तथा सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 3 के अन्तर्गत एक सिक्योरिटाईजेशन कम्पनी है। प्रार्थी कम्पनी विधिनुसार सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 2 के अन्तर्गत एक वित्तीय संस्था है। गजट नोटिफिकेशन दिनांक 24.10.2018 के जरिये प्रार्थना पत्र 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत है। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अनुबंध संख्या 71486 दिनांक 31.01.2018 के जरिये प्रार्थी कम्पनी से कुल 5,00,000/–रूपये की वित्तीय सुविधा प्राप्त	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

की थी । उपरोक्त ऋण की सिक्योरिटी पेटे अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खाता नम्बर 301 अराजी नम्बर 410, ग्राम बेटूम्बी, रेलमगरा जिला राजसमन्द –राज. पर स्थित सम्पत्ति को प्रार्थी कम्पनी के यहॉ मोरगेज किया था। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वित्तीय सुविधा का ऋण अनुबंध पत्र मे वर्णित शर्तो के अनुसार भुगतान नहीं किया गया तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपनी किश्तों का नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित खाते दिनांक 01.05.2019 को विधिनुसार एनपीए घोषित कर दिया गया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त खाते को एनपीए घोषित करने के उपरान्त विधिनुसार अप्रार्थीगण को सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांकित 18.07.2019 को प्रेषित कर अप्रार्थीगंण से दिनांक 22.06.2019 तक कुल बकाया राशि 5,29,193/–रूपये व भुगतान की तिथि तक की अतिरिक्त बकाया राशि मय ब्याज की मांग की गयी तथा उक्त राशि को नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर भुगतान करने हेतु कहा। इस प्रकार अप्रार्थीगण को उक्त नोटिस की तामिल हो गई तथा तामिल के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के अनुसार समस्त कार्यवाही विधिनुसार की गई है तथा उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। इसलिए प्रार्थी कम्पनी अप्रार्थीगण की सम्पत्ति खाता नम्बर 301 आराजी नम्बर 410 जो ग्राम बेटूम्बी, रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः– बन्धक सम्पत्ति का विवरण :– श्री पिन्टू नायक पिता पृथ्वीराज नायक, के आराजी नम्बर 410 है, जो सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप 3009 वर्गफीट हैं, जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व – गिरधारी नायक, पश्चिम – देवीलाल नायक, उत्तर – हजारीलाल नायक का खेत, दक्षिण – आम रास्ता।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 18.07.2019 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी।

आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण :– श्री पिन्टू नायक पिता पृथ्वीराज नायक, के आराजी नम्बर 410 है, जो सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप 3009 वर्गफीट हैं, जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व – गिरधारी नायक, पश्चिम – देवीलाल नायक, उत्तर – हजारीलाल नायक का खेत, दक्षिण – आम रास्ता।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)